**Clamping of Vehicles in Delhi**

1750. SHRI SHAMIM HASHMI:
SHRI B. K. HARIPRASAD:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-report which appeared in the Times of India dated 30th May, 1990 regarding illegal clamping of vehicles in Delhi; and

(b) if so, the corrective steps taken against the police officers responsible for such decisions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes, Sir.

(b) Clamping of wrongly parked vehicles in Connaught Place area was introduced to ensure that the other motorists were not inconvenienced. Clamping has been stopped with effect from 30-5-1990. The Delhi Police proposes to file an appeal against the order of the Court which held clamping to be illegal.

**Aged Freedom Fighters**

1751. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that amongst the freedom fighters who are receiving Sanman Pension from the Central Government a number of them are between 80 to 90 years of age and they are unable to look after their boarding, lodging, medicare etc. on account of their physical disabilities;

(b) if so, whether Government have made any arrangement of Care Homes where they may be looked after for their boarding, lodging, medicare and other necessities of life; and

(c) if not, whether Government propose to make necessary arrangements in the near future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Age-wise statistics about Freedom Fighters receiving pension from the Central Revenues are not being maintained by the Ministry of Home Affairs.

(b) and (c) The Central Government has set up a Freedom Fighter's Home at Baba Kharag Singh Marg in New Delhi for those aged freedom fighters receiving central pension, who have nobody to look after them. The Home is being run by the Delhi Administration, with the help of grant from the Ministry of Home Affairs.

**केन्द्रीय पुलिस बल में मुस्लिम कान्स्टेबल**

1752. डा. अबरार अहमद खान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में मुस्लिम कान्स्टेबलों के दाढ़ी रखे जाने पर प्रतिबंध है और क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की धारा 11(1) के अन्तर्गत दाढ़ी न रखना बाध्यकर है – यदि हां, तो क्या सरकार देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इस कानून को उचित मानती है अथवा क्या सरकार बिना और विलम्ब किए इस कानून में कोई परिवर्तन करने पर विचार करेगी ; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 64 बी. एन., सी. आर. पी. एफ़.; महरौली नई दिल्ली के कमाण्डेंट कार्यालय के दिनांक 23 जुलाई 1988 के पत्र सं. पी. VIII–3/88–ई. सी.–स. के द्वारा, सं. 710050388 एल/एन के (एफ़. टी. आर.) श्री एफ़. ए. खान को सेवा से बरखास्त कर दिया

गया था क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी को नहीं कटाया था और क्या इस कानून के अन्तर्गत किसी और व्यक्ति को भी सेवा बरखास्त किया गया है– यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में किसी मुस्लिम कान्स्टेबल द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई संवैधानिक विनियमन नहीं है लेकिन पुलिस ड्रिल मैन्युवल में, सिखों के अलावा अन्य कार्मिकों को बाल छोटे रखने और ठोड़ी को साफ़ रखने की व्यवस्था है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 64वीं बटालियन के कान्स्टेबल श्री एफ. ए. खान ने नियमों का पालन करने के लिए अपने कमान्टेन्ट के आदेश का पालन नहीं किया । इस अवज्ञा के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के तहत उसे सेवा से बरखास्त किया गया । जब यह मामला सरकार के ध्यान में आया तो मार्च, 1989 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अर्ध-सैनिक बलों को निदेश जारी किए गए कि, मुस्लिम कार्मिकों को उनके अनुरोध पर, धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाय । श्री एफ. ए. खान के मामले की इन निदेशों के आधार पर पुनरीक्षा की गयी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ने श्री खान को बरखास्त करने के लिए उसके कमान्टेन्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों को रद्द कर दिया । इस आधार पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के किसी अन्य कार्मिक के खिलाफ़ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गयी ।

**आतंकवादियों और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम**

1753. डा. अख़रार अहमद खान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और शहरों के नाम क्या हैं जहां आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू किया जा रहा है और इस अधिनियम को कब और किन प्रयोजनों के लिए बनाया गया था ;

(ख) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह लागू हैं और इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये हैं तथा उन पर कौन-कौन से आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस अधिनियम के नाम पर राजस्थान के कोटा और जयपुर शहरों में पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है तथा उन्हें तंग किया है और उनसे लाखों रुपये की रिश्वत ली है ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार 25 जून, 1990 का "राजस्थान पत्रिका" (जयपुर संस्करण) में "टी.ए.डी.ए. से बचने के नाम पर हजारों रुपये वसूलने का आरोप' के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के आलोक में इस मामले की कोई जांच करायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) इस अधिनियम का प्रारम्भ में 23 मई, 1985 को अधिनियमन किया गया । इसमें आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को रोकने तथा उनका सामना करने और उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था है । टी. ए. डी. ए., 1987 को पूरे भारत में लागू किया गया है । कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है । अतः अधिनियम के उपबन्धों को राज्य प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है । अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, उन पर लगाए गए आरोपों